प्रेषक,

कुमार राघवेन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2013

विषय:-क्रिमिनल मि0 वाद संख्या-2506(सी)/2013 रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0 बनाम श्री अनूप कुमार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच लखनऊ से प्राप्त रिट नोटिस दिनांक 22-11-2013 जो शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, की प्रति (संलग्न) को सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- रिट याचिका संख्या-8909(एस/एस)/2006 रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-08-2013 का अनुपालन न किए जाने से अवमानना वाद की स्थिति उत्पन्न् हुई है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14-11-2013 की सुनवाई 19-12-2013 से पूर्व प्रतिशपथ-पत्र में माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाए।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने स्तर से प्रकरण में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुए प्रतिशपथ-पत्र समयान्तर्गत दाखिल किया जाए तथा मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12-08-2013 के सम्बन्ध में दाखिल विशेष अपील को सूचीबद्ध कराकर अवमानना याचिका संख्या-2506(सी0)/2013 को इससे सम्बद्ध कराकर तत्काल सुनवाई के सम्बन्ध में समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि प्रकरण में असमंजसपूर्ण स्थिति का सामना न करना पडें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है अत- सर्वोच्च प्राथमिता अपेक्षित है। क़त कार्यवाही की वस्तुस्थिति से शासन को भी अवगत कराया जाए। यदि किसी बिन्दु पर शासन के आदेश/परामर्श की आवश्यकता हो तो तद्नुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध

http://shasanadesh.up.nic.in

कराया जाए। इस सम्बन्ध में दिनांक 26-11-2013 की विभागीय समीक्षा बैठक में भी प्रकरण पर विचार करते हुए समयान्तर्गत कायर्वाही की अपेक्षा की गयी है।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(कुमार राघवेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-रिट-226(1)/30-2-13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच लखनऊ के पत्रांक-एम 14917, दिनांक 22-11-2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कुमार राघवेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in